

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 34/2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा

अपीलान्त

बनाम

1. चिरंजीलाल पुत्र मांगीलाल कौम ब्राहमण निवासी निजामपुरा तहसील रामगढ पचवारा  
जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 14(4)

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट उपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक: 28.02.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा के ख.न. 18 रकबा 55.19 बीघा मुताबिक रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज थी। जिसमें से 3.10 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 06.06.1989 को चिरंजीलाल पुत्र मांगीलाल कौम ब्राहमण निवासी निजामपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा को आवंटन किया गया था। जिसका उपखण्ड अधिकारी लालसोट के आदेश क्रमांक 630 दिनांक 04.10.2012 द्वारा गैर खातेदारी का नामान्तरकरण आदेश होने पर नामान्तरकरण सं. 192 दिनांक 08.10.2012 को दर्ज कर दिनांक 12.10.2012 को तस्दीक हुआ। जिसका जमाबन्दी में ख.न. 18 का नवीन नम्बर 124/18 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा का अंकन किया गया एवं बतौर गैर खातेदारी दर्ज की गई। जमाबन्दी संवत् 2070-73 की खाता सं. 50 पर खसरा नं. 124/18 रकबा 03 बीघा



अति० जिला कलक्टर

दौसा

प्रकरण संख्या : 34 / 2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

10 बिस्वा आवंटी चिरंजीलाल पुत्र मांगीलाल कौम ब्राहमण निवासी निजामपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा गैर खातेदार दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि बंजड-2 है। रिकार्ड पटवारी हल्का दिनांक 22.02.2017 के अनुसार आवंटी मौके पर काबिज नहीं है और आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। ग्राम पालडी स्थित आवंटित भूमि ख.न. 124/18 का आवंटन दिनांक 06.06.1989 को निरस्त कर राजकीय भूमि घोषित करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया तथा राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा स्थित भूमि खं.न. 18 रकबा 55.19 बीघा में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटी चिरंजीलाल पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी निजामपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था। जो आवंटी के नाम गैर खातेदार दर्ज है किन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.02.2017 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है अतः उक्त भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड व मौके की जांच नहीं की गई है। ग्राम पालडी की खसरा नं. 124/18 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा की खसरा गिरदावरी संवत् 2071-74 अनुसार वर्ष 2071, 2073, 2074 में उक्त प्रश्नगत भूमि पर आवंटी चिरंजीलाल पुत्र मांगीलाल कौम ब्राहमण निवासी निजामपुरा तहसील रामगढ पचवारा गैर खातेदार द्वारा गेहूँ, ज्वारसो व गवार की काश्त किया जाना अंकित किया गया है। इस प्रकार आवंटी प्रश्नगत आवंटित भूमि पर काबिज है एवं आवंटन शर्तों की पालना की गई है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 को खारिज फरमावे। न्यायिक दृष्टान्त 2008



अति० जिला कलेक्टर

दस्तावेज

प्रकरण संख्या : 34 / 2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

(1) आर आर टी 610 पप्पू व अन्य बनाम जगराम व अन्य पेश करते हुए राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 नियम 14(3) तथा (4) के सन्दर्भ में वर्ष 1999 में आवंटी ने दो वर्ष में भूमि काशत नहीं करने पर आवंटन निरस्त करने की शर्त विलोपित किया जाना व्यक्त किया गया। इसके अलावा 2010 (2) आर आर टी 1162 भी पेश किया गया।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2071-74 एवं न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया। खसरा गिरदावरी 2071-74 के अनुसार प्रश्नगत भूमि ख.न. 124/18 पर रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा पर संवत 2072 के अलावा आवंटी द्वारा गेहूँ, सरसों व गवार की काशत किया जाकर कब्जा होना साबित होता है। अतः तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 बहक चिरंजीलाल पुत्र मांगीलाल कौम ब्राहमण निवासी निजामपुरा तहसील रामगढ पचवारा के विरुद्ध तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( राजवीर सिंह चौधरी )  
अति० जिला कलेक्टर,  
दौसा

( राजवीर सिंह चौधरी )  
अति० जिला कलेक्टर,  
दौसा